

नई दिल्ली, 9 मई, 2011

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2011 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में :—

(क) उप नियम (1) के खंड (ख) में "वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) अथवा" शब्दों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

(ख) उप नियम (2) के खंड (2) में उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) अनुसूची 1 घ में यथाविनिर्दिष्ट पीयर समिति रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में, वैज्ञानिक 'ज', उत्कृष्ट वैज्ञानिक की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करेगी"।

3. इन नियमों के नियम 9 के उप नियम (i) में, वैज्ञानिक 'च' शब्द, और अक्षर के पश्चात्, वैज्ञानिक 'छ' और वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) शब्द, अक्षर और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. "अनुसूची 13 में शीर्षक के स्थान पर, रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में, वैज्ञानिक 'ब' और वैज्ञानिक 'छ' की अगली उच्चतर कोटि में प्रोन्नति और वैज्ञानिक 'ज' की नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए पीयर समिति"।

अनुसूची-III में क्रम संख्या 7 में स्तंभ (2), (3), (4) तथा (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वैज्ञानिक 'ज'	अनिवार्य :-		
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों, गणित या मनोविज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में निष्णात उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि।	संगू नहीं होता	54 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
		(ii) अपेक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान या विन्यास या विकास या उत्पादन का पंद्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।		
		(iii) पारिष्टिक भर्ती के लिए उच्चतर अर्हता को अनुसंधान अनुभव के रूप में दिए जाने वाला अधिमान नीचे दिए अनुसार है :-		
		इंजीनियरी में निष्णात उपाधि	—दो वर्ष	
		विज्ञान या गणित में डाक्टरेट उपाधि	—तीन वर्ष	
		इंजीनियरी में डाक्टरेट उपाधि	—चार वर्ष	
		सांख्यिक :		
		(i) विज्ञान, गणित या मनोविज्ञान में डाक्टरेट उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी या धातु विज्ञान में संबंधित विषयों में निष्णात उपाधि।		
		(ii) जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी या चीनी भाषा का ज्ञान		

[मिसिल सं. डीएचआरडी/76205/डीआरडीएस/आर आर/सी/पी/10/1022/डी (आरएंडडी)]

एस. के. देव, अवर सचिव

टिप्पण :- रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4, में का.नि.आ. 8, तारीख 30 दिसंबर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का. नि. आ. 307, तारीख 10 अक्टूबर, 1980, का. नि. आ. 196, तारीख 02 अगस्त, 1982, का. नि. आ. 159, तारीख 06 मई, 1983, का. नि. आ. 176, तारीख 07 अगस्त, 1984, का. नि. आ. 228, तारीख 13 नवम्बर, 1984, का. नि. आ. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985, का. नि. आ. 186, तारीख 02 अगस्त, 1985, का. नि. आ. 228, तारीख 06 जून, 1986, का. नि. आ. 158, तारीख 04 मई, 1987, का. नि. आ. 328, तारीख 25 सितम्बर, 1987, का. नि. आ. 111, तारीख 10 अगस्त, 1990, का. नि. आ. 1, तारीख 04 जनवरी, 1991, का. नि. आ. 33, तारीख 17 जनवरी, 1991, का. नि. आ. 74, तारीख 05 मार्च, 1991, का. नि. आ. 146, तारीख 04 जुलाई, 1991, का. नि. आ. 74, तारीख 24 मार्च, 1992, का. नि. आ. 125, तारीख 29 मई, 1992, का. नि. आ. 157, तारीख 26 अगस्त, 1994, का. नि. आ. 34, तारीख 08 मार्च, 1996, का. नि. आ. 33, तारीख 02 फरवरी, 1998, का. नि. आ. 100, तारीख 30 जुलाई, 1998, का. नि. आ. 119, तारीख 09 जुलाई, 1999, का. नि. आ. 51, तारीख 27 मार्च, 2003, का. नि. आ. 179, तारीख 13 नवम्बर, 2003, का. नि. आ. 35, तारीख 03 फरवरी, 2006, का. नि. आ. 52, तारीख 22 सितम्बर, 2007, का. नि. आ. 62, तारीख 05 जुलाई, 2008, का. नि. आ. 83, तारीख 11 अक्टूबर, 2008।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 9th May, 2011

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 8,—

(a) In sub-rule (1) clause (b) the words, letter and brackets “Scientist ‘H’ (Outstanding Scientist) or” shall be omitted.

(b) In sub-rule (2) in clause (b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

“(iv) The Peer Committee as specified in Schedule 1D shall assess suitability for appointment of Scientist ‘H’, Outstanding Scientist in Defence Research and Development Service”.

3. In the said rules, in rule 9, sub-rule (1) after the word and letters Scientist ‘F’, the words, letter and brackets “Scientist ‘G’ Scientist ‘H’ (Outstanding Scientist)” shall be inserted.

4. In scheduled 1D, the heading shall be substituted as “the Peer Committee for assessing suitability of Scientist ‘F’ and Scientist ‘G’ for promotion to the next higher grade and for assessing suitability for appointment of Scientist ‘H’ (Outstanding Scientist) in the Defence Research and Development Service.”

5. In Schedule III against Serial Number 7, in column number (2), (3), (4) and (5), for existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Scientist ‘H’ Essential :</b>				
	(i) At least First Class Master’s Degree in Science subjects or Mathematics or Psychology or at least First Class Degree in Engineering or Technology or Metallurgy from a recognised University or equivalent.		Not applicable	Not exceeding 54 years (relaxable upto 5 years for Govt. servants in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard).
	(ii) Fifteen years’ practical experience in Research or design or development or production in the required areas			
	(iii) Weightage for higher qualification to be equated as research experience for lateral recruitment as under :—			
	Post Graduate Degree in Engineering	—Two years		
	Doctorate Degree in Science or Mathematics	—Three years		
	Doctorate Degree in Engineering	—Four years		
<b>Desirable :</b>				
	(i) Doctorate Degree in Science, Mathematics or Psychology or Master’s Degree in Engineering or Technology or Metallurgy in the subject concerned.			
	(ii) Knowledge of German, French, Russian, Japanese or Chinese.			

[File No. DHRD/76205/DRDS/RR/C/P/11/1022/D (R&D)]

S. K. DEB, Under Secy.

**Note :-** The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II, Section 4, vide numbers S.R.O. 8, dated the 30th December, 1978, and subsequently amended vide S.R.O. 307, dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196, dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159, dated the 6th May, 1983, S.R.O. 176, dated the August, 1984, S.R.O. 228, dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170, dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186, dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228, dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158, dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328, dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E, dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1, dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33, dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74, dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146, dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74, dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125, dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157, dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34, dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33, dated the 2nd February, 1998, S.R.O. 100, dated the 30th July, 1998, S.R.O. 119, dated the 9th July, 1999, S.R.O. 51, dated the 27th March 2003, S.R.O. 179, dated the 13th November, 2003, S.R.O. 35, of the 03rd February, 2006, S.R.O. 52, dated the 22nd September, 2007, S.R.O. 62 dated the 5th July, 2008 and S.R.O 83, dated the 11th October, 2008.